संख्या-417/गृह-1/08/बजट पु0आधु0/2003

प्रेषक,

ओ0पी0तिवारी,
उपसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,मुख्यालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

गृह अनुभाग-1

देहरादून:दिनांक: 25 मार्च,2004

विषयः- आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सुरक्षा उपकरणों के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-डीजी-दो-45/2003 दिनांक 15.3.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित सुरक्षा उपकरणों के क्रय हेतु रू0 24,01,202-00 (रू0 चौबीस लाख एक हजार दो सौ दो मात्र) के व्यय किये जाय, की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्रम	नाम उपकरण	संख्या	मूल्य
1	एक्सप्लोसिव डिटैक्टर	02	19,45,230
2	बम्ब सूट	01	4,26,972
3	बम्ब ब्लैकेट	01	29,000
कुल योगः-			24,01,202

(रू0 चौबीस लाख एक हजार दो सौ दो मात्र)

2- उक्त उपकरण वित्तीय हस्तपुस्तिका में निहित क्रय संबन्धी नियमों तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों में निहित नियमों के अधीन किया जायेगा।

3- उक्त अग्रिम का समायोजन इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित कर लिया जाय।

4- इस संबन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक- "2055-पुलिस-115-पुलिस बल का आधुनिकीकरण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (50 प्रतिशत)-0101-भारत सरकार से प्राप्त विशेष उन्नयन अनुदानकी सुसंगत इकाईयों" के नामे डाले जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-433/वि0अनु0-1/2004 दिनांक मार्च 21, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओ0पी0तिवारी)
उपसचिव।

संख्या–417 / गृह–1 / 08 / बजट पु0आयु0 / 2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3– पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– एनआईसी,उत्तरांचल।
6– वित्त अनुभाग–1
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
23/3/04
(ओ0पी0तिवारी)
उपसचिव।